

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ 4 () पंरावि/प्रशा.2/स्था. है.मि./2016 4147 जयपुर दिनांक 7/10/16

आदेश


निम्नलिखित हैण्डपंप मिस्त्रियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. स.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पद	कहां से	कहां को
1.	दुर्गाशंकर गोड	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. सुल्तानपुर (कोटा)	पं.स. हिण्डोली (बूंदी)
2.	ओम प्रकाश बैरागी	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. लाडपुरा (कोटा)	पं.स. बूंदी (बूंदी)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


नोट:-

1. कार्मिक स्वीकृत पदों से अधिक अधिशेष नहीं हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे।
2. कार्मिक के द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थानान्तरण पर स्थगन प्राप्त किया हुआ है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण पर योगकाल देय नहीं होगा।
4. यदि कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना हेतु रिक्त पद नहीं होने पर पास्परिक अथवा अधिकतम अवधि से पदस्थापित कर्मचारी को निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित करने के आदेश जारी करें।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा एवं बूंदी।
4. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित हैण्डपंप मिस्त्रियों के रिक्त पद के विरुद्ध अग्रिम पदस्थापन आदेश संबंधित विकास अधिकारियों से अविलंब प्राप्त कर संबंधित को कार्यमुक्त करावें।
6. संबंधित हैण्डपंप मिस्त्री।
7. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव